24 सितम्बर, 2014 की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में चर्चा हेतु कार्यसूचीः–

क्र सं	प्रश्न कर्ता का नाम	सम्बन्धित विभाग	प्रश्न / प्रस्ताव का विषय	वर्तमान स्थिति
01	02	03	04	05
गत बैठक कार्यवाही की अभिपुष्टि				
01	श्रीमती प्रेमलता, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल–प्रथम व द्वितीय	**प्रस्ताव संख्याः– 11 / दिनांक 01.08.11** 1.**लगवैली, दलीघाट और दड़का से भूमतीर, कोलीबेहड़ से बाराहार सड़क का कार्य आरम्भ करने बारेः–** अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम कुल्लू ने अवगत करवाया है कि लगवैली, दलीघाट और दड़का से भूमतीर, सड़के कुल्लू मण्डल दो के अधीन है तथा कोलीबेहड़ से बाराहार सड़क का कार्य पूरा हो चुका है जैसा कि प्रस्ताव संख्या 11 (2) में दर्शाया गया है कि कोलीबेहड़ बनोगी सड़क कि0मी0 0/0 स्थान पर तंग है और उस स्थान को चौड़ा करने के पश्चात ही कोलीबेहड़ बाराहार सड़क पर बस चलाई जा सकेगी क्योंकि कोलीबेहड़ बाराहार सड़क बनोगी सड़क से 6 कि0मी0 बाद शुरू होती है। अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 2 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि 1. दड़का से भूमतीर सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार को आवार्ड कर दिया गया है तथा इसका निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा तथा बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए इस सड़क को पास करवा लिया जाएगा। **2. कोलीबेहड़ बनोगी सड़क का कार्य करने बारेः–** कोलीबेहड़ बनोगी सड़क तैयार हो चुकी है इस सड़क के बीचोंबीच एक तंग स्थान था वह भी मान्नीय विधायक श्री महेश्वर सिंह जी तथा स्थानीय लोगो के कथित प्रयासों से उपरोक्त स्थान को बस के योग्य निर्माण कर दिया	क. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम ने अवगत करवाया है कि **कोलीबेहड़ से बाराहार सड़क** का कार्य प्रगति पर है तथा इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इस सन्दर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि कोलीबेहड़ से बाराहार सड़क के शुरू के 6 कि0मी0 पास करने के लिए उप मण्डलाधिकारी नागरिक कुल्लू ने 24.9.2014 की दिनांक निर्धारित की है। क. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल–2 ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 12767 दिनांक 22.9.2014 के अन्तर्गत अवगत करवाया है कि लगवैली दलीघाट सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दड़का से भूमतीर सड़क के निर्माण का कार्य ठेकेदार को अवार्ड कर दिया गया है तथा इसका कार्य प्रगति पर है, जिसे 31.10.2014 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा वड़े वाहनों की आवाजाही के लिए इस सड़क को पास करवा लिया जाएगा। ख. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम ने अवगत करवाया है कि कोलीबेहड़ बनोगी सड़क तैयार हो चुकी है लेकिन यह सड़क शुरू में तथा 4 कि0मी0 के नजदीक तंग थी जिसे मान्नीय जिला परिषद सदस्य श्रीमति प्रेमलता ठाकुर, तथा मान्नीय विधायक श्री महेश्वर सिंह तथा स्थानीय लोगों के कथित

			गया है अब इस सड़क में केवल शुरू का स्थान तंग है यहॉ पर बस को मोड़ने के लिए कठिनाई आ रही है और उस स्थान में लोगों की निजी भूमि पड़ती है उनसे बातचीत जारी है ताकि उस स्थान को ठीक करके बस पास करवाई जा सके। इस स्थान को चोड़ा करने के पश्चात उपरोक्त सड़क जिसकी लम्बाई 16 कि0मी0 है बस योग्य पास करवाई जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को उपरोक्त सड़क का लाभ मिल सके।	प्रयासों से सुलझा लिया गया है तथा वहॉ पर सुरक्षा दिवारों का निर्माण भी कर दिया है कि इस सड़क के शुरू के 6 कि0मी0 को पास करने के लिए उप–मण्डाधिकारी नागरिक कुल्लू ने 24.9.2014 तिथि निर्धारित की है।
02	**श्रीमती प्रेमलता, मान्नीय सदस्या जि0प0**	**अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू/ जिला योजना अधिकारी कुल्लू/ अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 द्वितीय**	**प्रस्ताव संख्याः– 13/दिनांक 01.08.11** **समाणा नाला में गिरी चट्टान को हटाने बारेः–** अधिशाषी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 2 लोक निर्माण विभाग ने अवगत करवाया है कि समाणा नाले में गिरी चट्टान को तोड़ने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल–2 ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 12767 दिनांक 22.9.2014 के अन्तर्गत अवगत करवाया है कि समाणा नाले में गिरी चट्टान को तोड़ने का कार्य पूर्ण कर दिया गया हैं
03	**समस्त पदाधिकारीगण**	**निदेशक, पंचायती राज विभाग**	**प्रस्ताव संख्याः–24/दिनांक 01.08.2011** **जिला परिषद् कार्यालय में दो अतिरिक्त सेवादार के पद स्वीकृत किए जाने बारेः–** सदन में समस्त पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सेवादार हेतू निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला से प्रस्ताव के माध्यम द्वारा पुनः अनुरोध किया गया है कि कार्यालय में एक सेवादार होने के कारण कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। क्योंकि जिला परिषद् कार्यालय में कार्यरत सेवादार अधिकतर स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर रहता है जिस कारण इस दौरान कार्यालय में कोई सेवादार उपस्थित नहीं रहता। अतः जिला परिषद कार्यालय कार्य हेतू 2 अतिरिक्त सेवादार के पद स्वीकृत किए जाऍं ताकि कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1411 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

04	समस्त पदाधिकारीगण	अधिशाषी अभियन्ता, जि0ग्रा0वि0 अभि0 मण्डी / सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू	**प्रस्ताव संख्या :–17 / दिनांक 19.3.2012** **13वां वितायोग के अन्तर्गत जिला परिषद भवन की दूसरी मंजिल में रेस्ट हाउस का निर्माण करने बारेः–** सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला परिषद भवन में रेस्ट हाउस / पंचायत भवन कुल्लू का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन बिद्युत सम्बन्धित कार्य होना अभी शेष है। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, को निर्देश दिए गए कि वे भवन में शीघ्र अति शीघ्र विद्युत सम्बन्धि कार्य पूर्ण करवाए क्योंकि निकट भविष्य में शीघ्र ही इसका उद्‌घाटन होना सम्भावित है।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1412–1413 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
05	श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष, जिला परिषद्	निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला / समस्त छः विद्युत परियोजना जिला कुल्लू/ आदेशक गृह रक्षा सातवीं वाहिनी कुल्लू	**प्रस्ताव संख्या 12 / दिनांक 27.6.2012** **अग्नि शमन केन्द्र खोलने बारेः–** सदन में मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद् द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला कुल्लू में मात्र कुल्लू में ही अग्नि शमन केन्द्र स्थापित है तथा अन्य विकास खण्डों में अग्नि शमन केन्द्र न होने के कारण यहॉ पर आग से कई दुर्घटनाऍं होती हैं जिन्हें की सुलझाया जाना अति आवश्यक है। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा छः बड़ी विद्युत परियोजनाओं से आग्रह किया कि वे LADC योजना शीर्ष के अन्तर्गत अग्नि शमन केन्द्र खोले जिसके अन्तर्गत **एलायन दुहांगन द्वारा नगर में** अग्नि शमन केन्द्र खोला जाए ताकि वह मनाली क्षेत्र की जनता को भी लाभान्वित कर सकें तथा महा प्रबन्धक, **एनएचपीसी, स्टेज–2 पार्वती काम्पलैक्स, नगवाई जिला मण्डी द्वारा लारजी (बन्जार)** में अग्नि शमन केन्द्र भवन खोला जाए एवं महा प्रबन्धक, एनएचपीसी, **स्टेज–3 पार्वती काम्पलैक्स, बिहाली द्वारा आनी** में अग्नि शमन केन्द्र खोले व महा प्रबन्धक, रामपुर प्रोजैक्ट, एसजेवीएनएल, **झाकड़ी द्वारा निरमण्ड** में अग्नि शमन केन्द्र भवन खोलने हेतू आगामी कार्यवाही अमल में लाए तथा कि गई कार्यवाही से सदन को भी अवगत करवाऍं। श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य द्वारा सदन व मान्नीय अध्यक्ष महोदय को सुझाव दिया गया कि एल0ए0डी0एफ0 के अन्तर्गत एन0एच0पी0सी0 **स्टेज–2 शाढ़ावाई** में होमगार्ड के कार्यालय के पास अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करे	आदेशक गृह रक्षा सातवीं वाहिनीं कुल्लू ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 4168 दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के अनुक्रम में अवगत करवाया है कि इन द्वारा मामले को महा निदेशक (आरक्षी)–एवं–निदेशक अग्निशमन सेवाऍं हिमाचल प्रदेश शिमला–2 को भेजा गया है जैसे ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही होती है आपको अवगत करवाया जाएगा। महा प्रबन्धक, एनएचपीसी, स्टेज–2 पार्वती काम्पलैक्स, नगवाई जिला मण्डी ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 22 / 14 / 3432 दिनांक 22.9.2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है जिसमें कि पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण–2 के द्वारा एल0ए0डी0एफ0 के अन्तर्गत जमा कराई गई धनराशि में से अग्निशमन केन्द्र खोलने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि परियोजना के पत्र संख्या एन0एच / पीपी–2 / जीएम / 3554–3557 दिनांक 28.2.2014 के अन्तर्गत भी पूर्व में अवगत करवाया गया है कि परियोजना के बजट में अग्नि शमन केन्द्र खोजने का प्रावधान नहीं है। अतः भविष्य में इसे एलएडीसी की बैठक में पेश किया जा सकता है ताकि इसे एल0ए0डी0ए0 की जिला स्तर की योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा सके।

			और एन0एच0पी0सी0 **स्टेज–3 लारजी में** पी0डब्लयू0डी0 रेस्ट हाउस/एन0एच0पी0सी0 कार्यालय के पास अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करें। कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धि समस्या के सम्बन्ध में होमगार्ड के कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है जिस दौरान इन्हें होमगार्ड विभाग की और से ब्रेक दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त परियोजनाओं को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त बताएँ गए स्थानों में अग्नि शमन केन्द्र कार्यालय व वाहन स्थापित करवाने हेतू कार्यवाही करें। कई परियोजनाओं द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परियोजना कर्मचारियों को रखने में सक्षम नहीं है तो यह अवगत करवाया गया कि उपरोक्त परियोजनाएँ प्रथम चरण में कार्य उपरोक्त स्थानों पर अग्नि शमन केन्द्र कार्यालय स्थापित करवाएँ व वाहन उपलब्ध करवाएँ तथा कार्यालय व वाहन चलाने हेतू कर्मचारियों की नियुक्ति द्वितीय चरण में की जाएगी। अतः सदन द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि वे इस सम्बन्ध में उपरोक्त परियोजनाओं को निर्देश दें कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि जिला कुल्लू की समस्त जनता लाभान्वित हो सके।	
06	**श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद**	**लोक निर्माण विभाग मन्त्री/ मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग निरमण्ड भवन शिमला 171002**	**प्रस्ताव संख्याः– 18/दिनांक 27 जून, 2012** **भून्तर से मनीकर्ण–बरशैणी–नकथान सड़क को सैन्ट्रल रिजर्व फडिग के तहत डवललेन स्ट्रैचनिग करने बारेः–** दिनांक 25 नवम्बर, 2013 की बैठक में प्राप्त उतर अनुसार संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस सम्बन्ध में इनके कार्यालय पत्र संख्या दिनांक 16.11.2013 द्वारा इन्होंने मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002 को आगामी कार्यवाही हेतू निर्देशित किया गया है। महोदय इस सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रथम ने अवगत करवाया है कि यह सड़क सैट्रल रिजर्व फंडिग स्कीम है जोकि उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			अतः पुनः प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मन्त्री महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला से अनुरोध है कि आप पुनः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देश देने की अनुकम्पा करें ताकि उपरोक्त समस्या का समाधान शीध्र करवाया जा सके।	
07	**अध्यक्ष जिला परिषद्**	**परियोजना अधिकारी, हिम उर्जा कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः— 20/दिनांक 27 जून, 2012** **<u>स्ट्रीट लाईटें लगाने बारेः—</u>** सदन में जिला परियोजना अधिकारी, हिम ऊर्जा कुल्लू ने अवगत करवाया है कि इस सम्बन्ध में दिनांक 31 जुलाई, 2013 की बैठक के अन्तर्गत प्रेषित योजनाओं को उनके निदेशालय स्वीकृति हेतू प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त मान्नीय उपाध्यक्षा जिला परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत पिछलीहार के क्षेत्र में तथा श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या द्वारा उनके वार्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ब्राहम्ण, भूमतीर, भढ़ाई तथा बुआई के क्षेत्र में सौलर लाईटें लगवाई जानी अति आवश्यक है (ग्राम पंचायत प्रस्ताव संलग्न)। अधिकारी को अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009—1114 दिनांक 06 अगस्त—2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1424 दिनांक 09—09—2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
08	**श्री दिनेश सेन मान्नीय सदस्य जिला परिषद्**	**वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः— 03 /दिनांक 26.11.2012** **<u>कोठी फण्ड के सम्बन्ध में जानकारी देने बारेः—</u>** मान्नीय सदस्य प्राप्त उतर से सन्तुष्ट नहीं हुए और सदन को अवगत करवाया गया कि कोठी फण्ड जो भी दुकानों से किराया प्राप्त हो रहा है, उस किराए की दर अतिअधिक कम है तथा वे दुकानदार लाखों में आय कमा रहें है जबकि वे जिला कुल्लू के स्थाई निवासी भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जिला कुल्लू की स्थानीय महिलाएँ गॉव से रोजाना सब्जियॉ इत्यादि बेचने के लिए बाज़ारों में आती हैं तो उन्हें चौराहे पर दुकान लगाकर सब्जियों को बेचना पड़ता है। यदि इन्हें उपरोक्त दुकानों में स्थान दिया जाए तो इनके आय के साधन भी बढ़ेगें तथा इसका लाभ जिला कुल्लू की स्थानीय महिलाओं को मिलेगा। सदन में इस सम्बन्ध में पुनः मान्नीय सदस्य जिला परिषद् द्वारा अनुरोध किया गया कि इस सम्बन्ध में शीध्र	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू ने उनके कार्यालय पत्र संख्या के अन्तर्गत अवगत करवाया है कि इस सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी कुल्लू को लिखा गया है कि वे कोठी फंड से निर्मित जो दुकानों का किराया प्राप्त होता है वह वन विभाग द्वारा प्राप्त किया जा रहा है जैसा कि आपके बैठक में बताया था कि आप इस मामले बारे में उपायुक्त महोदय से चर्चा करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। अतः आपकसे निवेदन है कि आप कोठी फंड से सम्बन्धित मामले बारे उपायुक्त महोदय से चर्चा करके इस समस्या का समाधान करें। जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009—1114 दिनांक 06 अगस्त—2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1425 दिनांक 09—09—2014 के

			ही कार्यवाही अमल में लाएँ या इस सम्बन्ध में अवगत करवाएँ कि कोठी फण्ड से निर्मित दुकानों का किराया इतना कम क्यों है तथा बाहरी दुकानदारों को लाभ प्रदान करने का क्या औचित्य है इस सम्बन्ध में जिला परिषद् कार्यालय को 15 दिनों के भीतर अवगत करवाया जाए। वन मण्डल अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में संयुक्त बैठक की जानी आपेक्षित है जिस पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे जब भी संयुक्त बैठक का आयोजन करें मान्नीय सदस्य को भी इस बैठक में बुलाया जाए ताकि वे इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर सकें।	अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन वन मण्डल अधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
09	**अध्यक्ष / उपाध्यक्षा जिला परिषद् / प्रेमलता ठाकुर, मा्नीय सदस्या जिला परिषद्**	**अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पण्डोह मण्डी / अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल प्रथम व द्वितीय**	**प्रस्ताव संख्याः— 03 / दिनांक 06.03.2013** **<u>ख. अलेऊ, ब्राण, जटेहड़, पनारसा, छाकी, जोगणी माता स्थान पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग की मुरम्मत करने बारेः—</u>** उपरोक्त के सन्दर्भ में गत बैठेक में विस्तार से सूचना दी गई थी लेकिन मान्नीय सदस्या, श्रीमती प्रेमलता ठाकुर ने अवगत करवाया कि माता जोगणी स्थान पर जो पेरापट लगाए गए हैं वे नियमानुसार नहीं लगाए गए हैं जिस पर अधिशाषी अभियन्ता, लोक मिर्नाण विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य के बीच में ही काम रोक दिया गया है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा । प्राक्कलन का पुनः तैयार करवाया जा रहा है तथा पुनः यह कार्य किया जाएगा । सदन में उपाध्यक्षा महोदय द्वारा ब्राण की सड़क मुरम्मत के बारे में पूछा गया तो अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि ब्राण की आधे के हिस्से में टॉयरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009—1114 दिनांक 06 अगस्त—2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1426—1428 दिनांक 09—09—2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
10	**समस्त पदाधिकारीगण**	**समस्त खण्ड विकास अधिकारी**	**प्रस्ताव संख्याः— 12 / दिनांक 06.03.2013** **<u>13वां वितायोग के निर्माण कार्य आरम्भ पूर्व कार्य योजना स्थल पर जिला परिषद का बोर्ड लगाने बारेः—</u>** सदन में खण्ड विकास अधिकारी नगर द्वारा 13वां वितायोग की कुछ योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटो सहित प्रस्तुत किए गए तथा अध्यक्ष जिला परिषद् द्वारा	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009—1114 दिनांक 06 अगस्त—2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1429—1433 दिनांक 09—09—2014 के

			कुल्लू, बन्जार आनी एवं निरमण्ड के खण्ड विकास अधिकारियों को इस समबन्ध में पुनः निर्देश दिए गए कि आगामी बैठक से पहले सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटो सहित जिला परिषद् को भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा मामले को निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।	अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
11	**समस्त पदाधिकारीगण**	**मान्नीय मुख्यमन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला–2/ निदेशक व सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मन्त्री/**	**प्रस्ताव संख्याः– 19/दिनांक 06.03.2013** **जिला परिषद् अध्यक्ष को अपने जिला में तथा मान्नीय जिला परिषद् सदस्यों को उनके वार्ड क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन हेतू अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने बारेः–** सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सरकार से निर्देश जारी होने की आशा है।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
12	**कार्यालय जिला परिषद्**	**समस्त पदाधिकारी गण**	**प्रस्ताव संख्याः– 21/दिनांक 06.03.2013** **आगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण तथा निरीक्षण रिर्पोट सदन में प्रस्तुत करने बारेः–** जिला कार्यक्रम अधिकारी कुल्लू द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 3214 दिनांक 29.11.13 के अन्तर्गत अवगत करवाया है कि इस सम्बन्ध में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को लिखा गया है कि वे विभाग द्वारा सूचना व शिक्षा मद के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाले जागरूकता शिविरों की सूचना जिला परिषद के मान्नीय अध्यक्ष, उपाध्यक्षा व सदस्यों को भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिला परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष व पदाधिकारी अपने वार्ड क्षेत्र में जब भी आगनबाड़ी केन्द्रों के **निरीक्षण/प्रवास** पर जाएँ तो उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए तथा समस्त पर्यवेक्षिकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस सन्दर्भ में आगामी निर्देश जारी किए जाएं ताकि कोई शिकायत/आपति कार्यालय को प्राप्त न हो।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1434–1447 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

13	मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद् कुल्लूः–	परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण / खण्ड विकास अधिकारी, नगर	**प्रस्ताव संख्याः– 22 / दिनांक 06.03.2013** **<u>शौचालय निर्माण बारेः–</u>** सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना के अन्तर्गत 2 योजनाओं दि गई जिनके निर्माण कार्य हेतू 13वां वितायोग से 20 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाएगी। 1. निर्माण सार्वजनिक शौचालय गॉव नगर नजदीक सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत नगर। 2. निर्माण सार्वजनिक शौचालय गॉव शुरू मन्दिर के नजदीक । सदन में खण्ड विकास अधिकारी, नगर ने अवगत करवाया कि 13वां वितायोग से 10 प्रतिशत धनराशी खर्च करने बारे चर्चा हुई थी। जिसमे निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक पार्किंग नगर कैसल नगर हेतू पहले ही राशि 197000/– (एक लाख सतानवे हजार) रूपये जमा करने को है तथा निर्माण सार्वजनिक शौचालय गॉव शुरू मन्दिर के नजदीक का प्राक्कलन मु0 257000 रूपये (दो लाख सतावनहजार) रूपये का परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू को अगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित किया गया है। परन्तु 10 प्रतिशत अंशदान धनराशि स्वीकृति उपरान्त इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।	परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 2659 दिनांक 17. 09.2014 के अन्तर्गत अवगत करवाया है कि उन द्वारा उनके कार्यालय पत्र संख्या 8785 दिनांक 15.2.2014 के अन्तर्गत मु0 1.97 लाख की राशी स्वीकृति उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी नगर को धन राशी जारी की जा चुकी है तथा पत्र संख्या 1599–1603 दिनांक 11.7.2014 द्वारा मु0 2.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा खण्ड विकास अधिकारी नगर को औपचारिकताऍ पूर्ण करने हेतू लिखा गया है।
14	समस्त पदाधिकारीगण	निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9	**प्रस्ताव संख्याः– 23 / दिनांक 06.03.2013** **<u>फोटोस्टेट मशीन क्रय करने बारेः–</u>** सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया कि जिला परिषद् कार्यालय हेतू फोटोस्टेट मशीन क्रय की जानी अति आवश्यक है। निदेशक महोदय को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतू लिखा गया है। जैसे ही निदेशक महोदय से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होती है, फोटोस्टेट मशीन क्रय कर ली जाएगी। अतः पुनः सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से निदेशक पंचायती राज महोदय से अनुरोध किया गया कि कार्यालय प्रयोग हेतू फोटोस्टेट मशीन क्रय करने की प्रशाशनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1450 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

15	कार्यालय जिला परिषद्	समस्त पदाधिकारी गण	**प्रस्ताव संख्याः— 25 / दिनांक 06.03.2013** **<u>सम्पूर्ण स्वच्छता तथा पौधा रोपण अभियान बारेः—</u>** सदन में सचिव जिला परिषद् द्वारा अवगत करवाया गया कि समस्त पदाधिकारीगण द्वारा उनके वार्ड क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा पौधा रोपण अभियान एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में कार्यक्रम आयोजित करें तथा रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित करें। सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने वार्ड क्षेत्र में 13वां वितायोग की धनराशि से पौधा रोपण अभियान का आयोजन करें और कुछ ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें जहॉ पर पौधा रोपण करने उपरान्त उस स्थान को भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखा जा सके। क्योंकि इससे पूर्व जिला परिषद ने भी पौधा रोपण अभियान मान्नीय सदस्य श्री दिनेश सेन की सहायता से उनके वार्ड में आयोजित करवाया था। इसके अतिरिक्त कोई भी संस्था व एन0जी0ओ0 जिला परिषद के सहयोग से पौधा रोपण कार्यक्रम आयोजित करता है तो उस संस्था/एन0जी0ओ0 को पुरस्कृत किया जाएगा।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009—1114 दिनांक 06 अगस्त—2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1434—1447 दिनांक 09—09—2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
16	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्	उप—निदेशक कृषि विभाग कुल्लू/ उप—निदेशक उद्यान विभाग कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः— 06 / दिनांक 31 जुलाई, 2013** 1.जैविक खेती (Organic farming) कहॉ पर की जा रही है। इसके परिणाम कितने वर्षों में आते हैं। जैविक खेती के लिए कैसे वातावरण की आवश्यकता रहती है। क्या जैविक खेती के उत्पाद की गुणवता विभाग द्वारा जॉच की जाती है? 2. किसानों के लिए विभाग द्वारा कौन—कौन सी कल्याणकारी योजनाऍ चलाई जा रही है। क्या किसान विभाग की योजनाओं का लाभ उचित तरीके से उठा रहे है। जिन लोगों ने विभाग की योजनाओं का लाभ उठाया है। क्या विभाग उन किसानों के उत्पाद की जॉच करता है या नही? 3. विभाग द्वारा किसानों को जो बीज व कीटनाशक दिया जाता है। वह बाज़ार में बिकने वाले बीज व कीटनाशक जितने उपयोगी/गुणकारी होते हैं। विभाग द्वारा किसानों को जो बीज व कीटनाशक दिया जाता है क्या विभाग उसके सैंपल भरकर प्रयोगशाला में जॉच करवाने देते है या बिना जांच के देते है। जो किसान विभाग से बीज व कीटनाश खरीद के ले जाते है	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009—1114 दिनांक 06 अगस्त—2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1451—1452 दिनांक 09—09—2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			तो क्या विभाग उन किसानों के खतों में जाकर अपने बीज व कीटनाशक से तैयार उत्पादन का निरीक्षण भी करते है या नहीं ? बीज व कीटनाशक को विभाग किस दर से खरीदता है। उसकी क्या शर्ते है। ब्यौरा प्रस्तुत करें ? सदन में उप–निदेशक, कृषि विभाग कुल्लू द्वारा मान्नीय सदस्य को सूचना उपलब्ध करवाई गई तथा मान्नीय सदस्य द्वारा चाहा गया कि इस सम्बन्ध में उद्यान विभाग द्वारा भी जानकारी दी जाए तत्पश्चात् निर्णय लिए जाएगें। अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्यान विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी से मान्नीय सदस्य व जिला परिषद को अवगत करवाएँ।	
17	श्रीमती निर्मला, मान्नीय सदस्या द्वारा पूछा गया कि:–	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम	**प्रस्ताव संख्याः–10/दिनांक 31 जुलाई, 2013** **1. हुरला कोटला पी0डब्लयू0डी0 मोटर योग्य सड़क की डी0पी0आर0 बनवाई गई थी जिसे कि विधायक निधि में पारित किया गया था। विभाग अवगत करवाएँ कि इस सड़क को बस योग्य कब तक बनाया जाएगा।** हुरला से कोटला मोटर योग्य सड़क 2012–13 विधायक प्राथमिकता में डाली गई है, तथा इसके निर्माण हेतू वन भूमि सम्बन्धी कागजात हेतू राजस्व विभाग को आग्रह किया गया था जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके उपरान्त ही उक्त सड़क की विस्तृत परियोजना रिर्पोट व वन भूमि सम्बन्धी कागजात तैयार किए जाएंगें। **2. चनौन से कड़ाहिल की डी0पी0आर0 बनाई गई है। सड़क का कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा।** चनौन से कड़ाहिल सड़क की परियोजना रिपोर्ट बनाई जा चुकी है तथा निजी भूमि की गिफट डीड हेतू सम्बन्धित प्रधान सदस्य समिति/ जिला परिषद सदस्य को भूमि मालिकों को उनकी निजी भूमि हेतू शपथ पत्र देने के लिए प्रेरित करने हेतू सहायक अभियन्ता बन्जार के पत्र संख्या 1430–33 दिनांक 21.8.2013 द्वारा लिखा गया है परन्तु अभी तक कोई भी सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके इलावा वन भूमि के स्थानांतरण हेतू कागजात सम्बन्धित विभाग को स्वीकृति हेतू प्रेषित कर दिए गए हैं। स्वीकृति व गिफट डीड के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1453 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि विभाग के अधिकारी व मान्नीय सदस्य स्थान का निरीक्षण आगामी सोमवार को करेगें तत्पश्चात् आगामी निर्णय लेगें तथा विभाग के अधिकारी द्वारा उनका मोवाईल नम्बर 94180–25013 दिया गया तथा सदस्य द्वारा 98052–62042 मोवाईल नम्बर दिया गया जिसके माध्यम से अधिकारी व मान्नीय सदस्य एक दूसरे से सम्पर्क करेगें।	
18	**समस्त पदाधिकारीगण**	**निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–9**	**प्रस्ताव संख्याः– 21 दिनांक 31 जुलाई, 2013** **<u>ग्राम सभा की तिथि पंचायतों में अलग–अलग रखने बारे :–</u>** सदन में माननीय सदस्यों द्वारा अवगत करवाया गया कि समस्त जिला में एक ही दिन/तारीख में ग्राम सभा होने के कारण वे उनके अधिकार क्षेत्र की समस्त पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा में जा नहीं पाते हैं क्योंकि कई पंचायतें ऐसी है जहॉ कि पैदल जाना पड़ता है और वे ग्राम सभा में समय पर नहीं पहुॅच पाते। अतः समस्त पदाधिकारियों द्वारा निदेशक महोदय से अनुरोध किया गया कि ग्राम सभा को अलग–अलग दिन/दिनांक में रखने की अनुकम्पा करें ताकि समस्त जिला परिषद पदाधिकारी उनके कार्यक्षेत्र की सभी ग्राम सभा में भाग ले सके।	निदेशक पंचायती राज महोदय द्वारा अवगत करवाया गया है कि यह मामला विचाराधिन है। इस मामले पर जैसे ही कोई निर्णय लिया जाता है तो सूचित किया जाएगा।
19	**मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद्**	**मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः– 22/दिनांक 31 जुलाई, 2013** **<u>जनेटिक बिमारी ''हिमोफीलिया'' के कारण आई शारीरिक आयोग्यता के आधार पर सरकारी पैंशन दिलाने बारे</u> :–** सदन में उपस्थित जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि जब भी क्षेत्र में कैम्प लगता है तो उपरोक्त बिमारी से पिड़ित व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया जाता है कि वह हिमोफीलिया बिमारी से पिड़ित है तथा सरकारी अस्पतालों में ऐसे मरीजों को खास प्रबन्ध के साथ मुफत इजाज करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कैम्प में ऐसे मरीजों को न दिखाया गया हो तो माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में लाया जा सकता है और इन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएगें।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1453 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि वे उपरोक्त मरीजों को पैंशन दिलवाने का प्रावधान करवाने की अनुकम्पा करें।	
20	**श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जि0प0**	**निजि सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 / निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता ममले विभाग शिमला**	**प्रस्ताव संख्याः–05 / दिनांक 25.11.2013** **<u>मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया है किः–</u>** क्या पहले डिपो होल्डरों को वैस्टेज / शार्टेज दी जाती थी ? यदि हॉ तो अब क्यों नहीं दी जाती, जबकि सिविल स्पलाईर कोरपोरेशन शोर्टेज क्लेम करता है ? जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू जिला ने अवगत करवाया है कि हिमाचल प्रदेश विनिदिष्ट वस्तुयें (वितरण का निनियमन) आदेश, 2003 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों को किसी भी प्रकार की शार्टेज देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि कॉपरेशन द्वारा शार्टेज कलेम की जाती है जबकि शार्टेज की कलेम डिपों होलडरों को नहीं दी जाती है तथा डिपों होल्डरों से अनाज की बोरी की धनराशी तक वसूली जाती है। इस सम्बन्ध में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि निदेशक, खाद्य ना0 आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करें कि डिपों होलडरों को भी कलेम की राशी दी जाए।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1470 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
21	**श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्**	**अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वा0 विभाग मण्डल 2 स्थित भून्तर**	**प्रस्ताव संख्याः– 06 / दिनांक 22.11.2013** **<u>मान्नीय सदस्या द्वारा पूछा गया है किः–</u>** क. वर्षा होने पर मौहल और शमशी इलाके के गॉव में नलकों में गन्दा पानी आता है जोकि पीने योग्य नहीं होता। क्या विभाग ने स्टोर टैंक दोहरा नाला में पानी साफ करने के लिये वाटर फिल्टर का प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं तो कब तक इलाके के लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। ख) इस योजना का कार्य वर्ष 2012–2013 में शुरू किया गया तथा अब तक किये गए कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत करें ? गॉव मोहल और शमशी के लिए पानी मोहल,	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1455 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			गदौरी व छोयल जौली पेयजल योजना से उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहाँ पर बने फील्टर बैड सुचारू रूप से चल रहे हैं। वर्तमान में जनसंख्या वृद्वि होने के रिण फील्टर बैड की क्षमता से अधिक पानी उठाया जा रहा है। उपरोक्त समस्या के निवारण हेतू उठाऊ पेयजल योजना मोहल का निर्माण किया जा रहा है। गत बैठक में इस सम्बन्ध में विस्तार से सूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यह अवगत करवाया जाता है कि दिनांक 11.6.14 को अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत कुल्लू और अधीक्षण अभियन्ता बिजली बोर्ड के मध्य हुई बैठक में यह तय किया गया कि इस पेयजल योजना मोहल का विद्युत कुनेक्शन 30.6.2014 तक रिजीज़ कर दिया जाएगा और सहायक अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उप मण्डल शमशी को भी निर्देश दे दिये गये है कि 30.6.2014 से पहले तक पम्पिंग मशीनरी लगाने का कार्य पूरा कर दिया जाए।	
22	**श्री ओम प्रकाश शर्मा, माननीय सदस्य जिला परिषद्**	**उप मण्डल अधिकारी (ना0) कुल्लू/ क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः– 07/दिनांक 22.11.2013** **<u>क. कुल्लू से बड़ोगी, भ्रैण, छमाहण, चतराणी, शागंचण के रूटों में नियमित रूप से बसे चलाने बारेः–</u>** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि कुल्लू से शांगचर तथा चतराणी मार्गों पर हिपपनि कुल्लू के द्वारा नियमित रूप से बस सेवाएं चलाई जा रही हैं जबकि बड़ोगी, त्रैहण तथा छमाहण के लिए वर्तमान में बसों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण सेवाऍ चलाना सम्भव नहीं है जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू क्षेत्र के द्वारा 60 नई बसों की JNNU-RM निती के अन्तर्गत मांग की गई है जिसमें इस क्षेत्र के बन्द रूटों पर पुनः बसें चलाने तथा नये रूटों पर बसें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव दिया गया है व बसें प्राप्त होते ही सभी मार्गों पर बस सेवाऍ प्रारम्भ कर दी जाएगी। **<u>ख. सड़क निर्माण के उपरान्त कितने वर्ष नियमित बस सुविधा हेतू लग जाते है ?</u>** सड़क निर्माण तथा सड़क के संयुक्त निरिक्षण व सड़क के वाहन चलाए जाने व उपयुक्त पाये जाने पर तथा स्थानिय निवासियों की मांग के मध्यनजर पूर्ण विवरण मुख्य कार्यालय की स्वीकृती के लिए भेजा जाता है तथा स्वीकृती के	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1456–1457 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			उपरान्त रूट परमिट स्वीकृत होने पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जाता हैं।	
23	श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू	उपायुक्त कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः–11/दिनांक 25 नवम्बर, 2013** **<u>तहसीलदार निवास स्थान के साथ के रास्ते को चौड़ा करने बारेः–</u>** सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसीलदार कुल्लू के निवास स्थान के आगे काफी स्थान खाली पड़ा हुआ है जिसका कि कोई सद्उपयोग नहीं हो रहा है। यदि इस स्थान की मैटलिंग की जाए तो काफी वाहनों को पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। सदन में समस्त पदाधिकारियों द्वारा इस पर सहमति प्रकट की गई। अतः सदन उपायुक्त कुल्लू को प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध करती है कि इस बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू से अनुरोध किया गया कि वे सम्बन्ध में मान्नीय उपायुक्त महोदय से चर्चा कर समस्या का समाधान करें।	इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय से चर्चा की गई है। यह एक रिहाईशी जगह है और वहॉ से तहसीलदार निवास के लिए भी रास्ता है और इस जगह को पार्किंग हेतू उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
24	श्री दिनेश सेन, सदस्य जिला परिषद् कुल्लू	कार्यालय उपायुक्त कुल्लू/ पुलिस अधिक्षक कुल्लू/ वन मण्डल अधिकारी	**प्रस्ताव संख्याः– 16/दिनांक 25 नवम्बर, 2013** **<u>ट्रक यूनियन को बाशिंग में स्थान आबंटित करने बारेः–</u>** वन मण्डल अधिकारी कुल्लू ने अवगत करवाया कि जो भूमि ट्रक यूनियन को आबटित की गई है और उस भूमि के आवंटन को रदद करने के लिए यह मामला उपायुक्त कुल्लू के समक्ष इस कार्यालय के पत्र संख्या 4828 दिनांक 19.10.2013 व 5483 दिनांक 14.11.2013 के द्वारा उठाया गया है। जो अभी विचाराधीन है। जिस पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मान्नीय सदस्य श्री दिनेश सेन, सदस्य जिला परिषद् कुल्लू को पुनः आश्वासन दिया कि वे उपायुक्त महोदय से चर्चा कर समस्या का समाधान करेगें।	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा प्राप्त विस्तृत रिर्पोट मान्नीय सदस्य को उपलब्ध करवाई गई है।
25	श्रीमती कीर्ति शौरी, मान्नीय सदस्य जिला	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम	**प्रस्ताव संख्या :–04 /दिनांक 25.03.2014** **<u>क. घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य पूर्ण करने तथा नाले पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारेः–</u>** सदन में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य तथा पुल	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा

	परिषद्		का कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा। **<u>ख) बठाहड़ मशियार सड़क का कार्य पूर्ण करने बारेः–</u>** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बठाहड़ मशियार सड़क का कार्य मई 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 1459 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
26	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्	उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व उच्च शिक्षा, प्रधानाचार्य, सर्व शिक्षा अभियान जरड	**प्रस्ताव संख्याः– 05 /दिनांक 25.03.2014** **क. स्कूल भवनों को डिसमैंटल करने की क्या प्रकिया है, इसमें कितना समय लगता है, 31 दिसम्बर, 2013 तक कितने स्कूल भवनों को डिस्मैंटल किया जा चुका है और निकट भविष्य में कितने भवनों को इस प्रकिया के अधीन डाला गया है। डिस्मैंटल किये गये व किये जाने वाले भवनों की सूचि दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?** **ख. प्राथमिक पाठशाओं और उच्च पाठशालाओं में डैस्क खरीदने की क्या प्रकिया है, इसमें कितना समय लगता है, वर्ष 2005 से वर्ष 2013 तक कितने डैस्क विभाग द्वारा खरीदे गये, इसकी पूरी सूचि स्कूलों से नाम के साथ लिखित में प्रस्तुत करे।**	उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुल्लू जिला कुल्लू ने उनके कार्यालय पत्र संख्या के अन्तर्गत अवगत करवाया है किः– **क.** स्कूल भवनों को डिस्मैन्टल करने बारे सर्व प्रथम एस0एम0सी0 का प्रस्ताव व ए0ई0सर्वशिक्षा अभियान द्वारा स्कूल भवन का असुरक्षित प्रमाण पत्र तथा सर्वे रिर्पाट दी जाती है उसके उपरान्त इस कार्यालय द्वारा स्कूल भवन को डिसमेंटल करने की अनुमति उपायुक्त कुल्लू से ली जाती है। समय सीमा कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। 31 दिसम्बर 2013 तक 16 स्कूल भवन को डिसमेंटल किया जा चुका है। रा0प्राथ0 पाठशाला नरोगी, सरसेई, आखाड़ा बाजार, ठैला, सजवाड़, खलोगी, पनीहार, खनाग, बेधार, पेखरी–1, तिन्दर, सचाणी, फवयारी, रशोल, कशेरी, भूमतीर, रूआड़, नगोठी इत्यादि। निकट भविष्य में खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से असुरक्षित भवनों के मामले कार्यालय को प्रस्तुत होगें तो प्रकिया में डाला जाएगा। **ख.** इस कार्यालय से उच्च पाठशालाओं के लिए डेस्क नहीं खरीदे जाते हैं ? प्राथमिक स्कूलों के लिए भी सिर्फ बजट का प्रावधान सिर्फ उन्हीं पाठशालाओं के लिए है जो कि पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत आते हैं। जिसकी स्वीकृति 2012 तक जिलाधीश के माध्यम से दी जाती थी तथा अब निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा शिमला से होती है। अन्य स्कूलों के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है। 2005 से 2013 तक जिन स्कूलों को डेस्क दिए गए हैं उनकी सूचि संलग्न की गई है। उप–शिक्षा निदेशक (उच्च) कुल्लू ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 7342 के अन्तर्गत अवगत करवाया है कि स्कूल भवनों को डिसमैंटल करवाने के लिए स्कूलों के मुख्यों द्वारा लोक निर्माण विभाग को भवन की परिस्थिति को देखने के लिए उन्हें सूचित किया जाता है, उसके उपरान्त उक्त विभाग द्वारा स्कूल भवन का निरिक्षण करता है उसकी रिर्पोट स्कूलों के मुख्यों को दी जाती है।

				यदि भवन गिराने योग्य है, तो उसकी स्वीकृति के लिए उपायुक्त महोदय को केस भेजा जाता है। उसके उपरान्त अगर भवन गिराने योग्य है, तो उसकी स्वीकृति उपायुक्त महोदय द्वारा स्कूल के मुख्यों को दी जाती है। उक्त प्रक्रियाओं के उपरान्त स्कूलों के मुख्यों द्वारा पुनः भवन को गिराने के लिए लोक निर्माण विभाग को केस भेजा जाता है तथा उसके बाद ही स्कूल भवन को गिराया जाता है। जी0एस0एस0एस0 भूटठी, जी0एस0एस0एस0 जलूग्रां, जी0एच0एस0 डुघीलग, जी0एस0एस0एस0 कुल्लू(बी0), जी0एस0एस0एस0 भल्याणी, जी0एस0एस0एस0कोटला, जी0एस0एस0एस0 भून्तर के भवनों असुरक्षित घोषित किया गया है। डैस्क को सरकार द्वारा अनुमोदित रेट कोन्ट्रेक्ट/सरकारी एजेन्सी के माध्यम से खरीदा जाता है। जिन पाठशालाओं के लिए डैस्क खरीदे गए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है:– **जी0एस0एस0एस0** बरशैणी,कुगॅश,चनौन, छमाहण,अर्सू, कुगॅश, दलाश, बुच्छैहर, डीम, बुच्छैहर, थाटीबीड़, बागीपुल, डिगेढ़, खरगा, खुन्न, जाओं, तांदी, लगौटी, लूहारी, शारवी, शवाड़ कुशवा, शैंशर, बटाहड़,बागीपुल, आनी, शांलग, देउगी, निरमण्ड, **जी0एच0एस0** कुटवा, दुराह, शवाड़, तुनन, सरगा, तवार, कशोली, सराहन, कोठी, सुश, बरशैणी, शैंशर, छमाहण, जाओं, रन्दल, **जी0एम0एस0** जटेड़, गाड़, तवार, जिन्दौड़, पीनिहार, नम्होंग, बयाल, कोइल, निमला, शवाड़, शुश। जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1450–1452 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सर्व शिक्षा अभियान जरड़ से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
27	**श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्**	**जिला कोषाधिकारी कुल्लू/ जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू/**	**प्रस्ताव संख्या :– 06 /दिनांक 25.03.2014** **<u>क. भून्तर में उप कोषागार खोलने बारे:–</u>** जिला कोषाधिकारी कुल्लू द्वारा गत बैठक में सदन को विस्तार पूर्वक अवगत करवाया गया था जिस सन्दर्भ में मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर में भी कोषागार खोला जाना अति आवश्यक है। क्योंकि भून्तर की	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1453 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

		निजि सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2	स्थानीय जनता को चलान व हाई वेलयू स्टेट के लिए कुल्लू आना पड़ता है। जिससे कि लोगों का अधिक समय लगता है और इन्हें असुविधा भी हो रही है। अतः सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि वे तहसील भून्तर में उपकोषागार कार्यालय खोलने की अनुकम्पा करें।	
28	**श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्**	**अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम**	**प्रस्ताव संख्याः–07 /दिनांक 25.03.2014** **क. गॉव पनोगी जो कि बाराहार पंचायत में पड़ता है। सड़क निकलने के बाद इस गॉव में भू–स्खलन होने के कारण कुछ घरों में दरारें भी आई है और कुछ लोगों के बगीचे भी नष्ट हो गये हैं अधिक वर्षा होने पर पूरे गॉव को धंसने का खतरा है। क्या विभाग के पास गॉव को बचाने का कोई प्रावधान है।** अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि बाराहार सड़क पर दोवारा से बुल्डोजर तथा जे0सी0वी0 भेजे गए थे और जिस–जिस स्थान पर लोगों ने सड़क के किनारे से मलवे को उठाने दिया वहॉ से सारा मलवा उठा दिया गया है जे0सी0वी0 द्वारा तथा कच्ची नालियों का निर्माण भी कर दिया गया है तथा कच्ची नालियों को बनाने का कार्य अभी भी प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा उसके पश्चात जहॉ पर सड़क से पनोगी गॉव में पानी जाने का जिकर किया गया है वहॉ पर पक्की नालियों तथा डंगे का निर्माण कार्य लोगों द्वारा उनके निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करवाने पर शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही आगामी सोमवार को स्थान का निरीक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा और मान्नीय सदस्या को भी बुलाया जाएगा।	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग कुल्लू ने अवगत करवाया है कि श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद के सहयोग से लोग डंगा लगाने के लिए अपनी अतिरिक्त भूमि देने को तैयार हो गए हैं और विभाग द्वारा इस कार्य के लिए टैण्डर भी कर दिए गए हैं और अब बरसात का मौसम भी थम गया है और ठेकेदार द्वारा कार्य करने के लिए पत्थर भी इक्टठे करने शुरू कर दिए गए है और शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
29	**श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्**	**वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू,**	**प्रस्ताव संख्याः– 08 /दिनांक 25.03.2014** मान्नीय सदस्या द्वारा पूछा गया कि हर वर्ष गॉव में घास लगाने के लिये कई देवदार व कायल के पेड़ काटे जाते हैं और वह 2 व 3 वर्ष ही चलते हैं जिससे कई पेड़ कटते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। क्या विभाग द्वारा इन पेड़ों को बचाने के लिए व घास को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1454–1455 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			वन मण्डल अधिकारी कुल्लू वन मण्डल कुल्लू ने अवगत करवाया है कि यह सत्य है हर वर्ष गॉव में घास लगाने के लिये कई देवदार व कायल के पेड़ कटते है और जिस कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। विभाग के पास लोहे की गाडर या पाईप उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि विभाग के पास लोहे की गाडर या पाईप उपलब्ध करवाने बारें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है फिर भी इस मामले को उच्च कार्यालय/सरकार के समक्ष उठाया जायेगा ताकि पेड़ों के कटने से हो रहे नुकसान से पर्यावरण को बचाया जा सके। सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वार प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया कि वे इस समस्या का समाधान करने की अनुकम्पा करें।	
30	**श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्**	**सचिव, जिला योजना समिति एवं उपायुक्त कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः—10** **<u>जिला योजना समिति की बैठक जो कि 2 अगस्त 2011 के सम्बन्ध में क्या—क्या कार्यवाही की गई विस्तार पूर्वक जानकारी देने बारेः—</u>** इस सम्बन्ध में मान्नीय सदस्य को अवगत करवाया जाता है कि जिला योजना समिति के भी वे सदस्य है जो भी बैठक में कार्यवाही हुई वह कार्यवाही उनके समक्ष हुई है तथा बैठक की कार्यवाही भी उन्हें प्रेषित की जा चुकी है।	इस सम्बन्ध में नव अध्यक्ष की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आगामी बैठक निर्धारत की जाएगी। इसके अतिरिक्त आप जिला योजना समिति के सदस्य है जो भी बैठक में निर्णय लिए गए है आपके समक्ष जिए गए है तथा बैठक की समस्त कार्यवाहियॉ आपको दी जा चुकी है।
31	**श्री बुद्दि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्**	**श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद / मुख्य चिकित्सा अधिकारी**	**प्रस्ताव संख्याः— 12 /दिनांक 25.03.2014** **<u>ख. भून्तर (पी0एच0सी0) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए एक होमगार्ड के जवान की तैनाती की जाए।</u>** सदन में मान्नीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा, द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वे आर0के0एस0 की बैठक में इस मामले का सुलझाने का प्रयास करेगें। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए की आर0के0एस0 के तहत एक होमगार्ड की नियुक्ति करें। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू द्वारा इनके कार्यालय की शाशनिकाय (Governing Body) की बैठक में इस समस्या का समाधान करें तथा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में इस कार्यालय को सूचित करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009—1114 दिनांक 06 अगस्त—2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1456—1457 दिनांक 09—09—2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

32	माननीय अध्यक्ष जिला परिषद्	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग कुल्लू/ अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत विभाग मनाली	प्रस्ताव संख्याः– 16/दिनांक 25.03.2014 क. मनाली शहर के सौन्दयकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारेः– अधिशाषी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 –2 ने अवगत करवाया है कि मनाली शहर के सौन्दर्यकरण का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। बिजली व्यवस्था का कार्य विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा है, यह कार्य भी 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। बिजली व पानी की लाईनों का कार्य पूर्ण हो जाता है तो पत्थर व संगमरमर लगाने का कार्य एक महीने के अन्दर पूरा कर दिया जाएगा। सदन में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा विद्युत विभाग तथा सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए कि वे शीघ्र से शीघ्र बिजली व पानी की आपूर्ति की समस्या का समाधान करें।	क. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वा0 मण्डल कुल्लू ने अवगत करवाया है कि विभाग द्वारा मनाली शहर में चैम्बर बनाने व पानी की पाईप लाईनें बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिशाषी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 –2 ने अवगत करवाया है कि मनाली शहर के सौन्दर्यकरण का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 30.9.2014 तक इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा।
		लोक निर्माण विभाग / वन विभाग	ख. दुआड़ा मेहा, भूझणू सड़क को चौड़ा तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करेंः– दुआड़ा से मेहा, भूझणू सड़क जीप योग्य है जोकि गॉव के बीच से होकर गुजरती है। इस सड़क की चौड़ाई कम है, जिस कारण इस सड़क को चौड़ा नहीं किया जा सकता है। पूर्व में उपरोक्त सड़क का निर्माण वन विभाग द्वारा किया गया था । इस सड़क को चौड़ा करने हेतू भूमि उपलब्ध नहीं है। ग्राम वासियों द्वारा अभी तक इस सड़क के लिए कोई भी भूमि गिफट नहीं की है। जिस कारण इस सड़क का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है जैसे ही ग्रामवासी सड़क चौड़ा करने हेतू भूमि प्रदान करेंगे उसके उपरान्त ही सड़क चौड़ा करने का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।	ख. अधिशाषी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 –2 ने अवगत करवाया है कि दुआड़ा से मेहा सड़क का निर्माण वन विभाग के अधीन है। अभी यह सड़क वन विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है।
33	श्री तेज राम, माननीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत विभाग	प्रस्ताव संख्याः–02/दिनांक 20 जून, 2014 माननीय सदस्य जिला परिषद् द्वारा पूछा गया कि 1. आनी से जो दलाश विद्युत लाईन विछाई गई है इसे अलग किया जाए क्योंकि यह मण्डी/करसोग डिविजन में पड़ता है। इस लाईन के जुड़े रहने से इनकी विद्युत आपूर्ति बारम्बार बाधित हो रही है। जिससे यहॉ के स्थानीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मण्डी/करसोग डिविजन की विद्युत व्यवस्था को अलग किया जाए। इस लाईन को	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1462 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			करसोग से जोड़ा जा सकता है। नगान से फिटर को अलग किया जाए। 2. दलाश में 100 के0वी0ए0 का ट्रास्फार्म लगा है। इसके स्थान पर विद्युत विभाग ने 250, के0वी0ए0 का ट्रास्फार्म स्वीकृत किया था। जो 2012 को लगना था। वह आज तक भी नहीं लगा ऐसा क्यों ? मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मान्नीय सदस्य से कहा गया कि इस सम्बन्ध में वे पंचायत का प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करवाएँ तत्पश्चात् वे अधीक्षण अभियन्ता, बिलासपुर से चर्चा कर समस्या का समाधान करने की कृपा करें।	
34	**श्री तेज राम कश्यप, मान्नीय सदस्य जिला परिषद**	**माईनिंग विभाग, वन विभाग लूहरी**	**प्रस्ताव संख्याः–03/दिनांक 20 जून, 2014** मान्नीय सदस्य जिला परिषद् द्वारा पूछा गया कि खेगसू में रेत की खान है, उसे सरकार ने बन्द कर रखा है। यहॉ से झाकड़ी प्रोजैक्ट को भी रेत जाता था। यहॉ से रेत ले जाने की स्वीकृती सरकार ने बन्द की है फिर भी यहॉ अवैघ रूप से खनन हो रहा है। जिसकी दर 2500 रूपये प्रत्येक गाड़ी है। कारण स्पष्ट करें ? इस सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी आनी ने अवगत करवाया कि इस सम्बन्ध में जब भी अवैध रूप से खनन हुआ है तो दोषी के विरूछ कार्यवही की गई है। जिस पर मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि गरीब स्थानीय लोग अवैध रूप से खनन करें तो उन्हें रोका जाता है यदि बड़े–बडे ठेकेदार गाड़ियों में रेत भर कर ले जाएँ तो उनपर कोई पकड़ नहीं है। जिस पर वन मण्डल अधिकारी आनी द्वारा अवगत करवाया गया कि जब भी स्थानीय पदाधिकारियों व आम जनता द्वारा सूचित किया जाएगा तो उसी दौरान अवैध रूप से हो रहे खनन को रोका जाएगा और दोषी के विरूद कानूनी कार्यवाही की जाएगी।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1463 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

35	श्री दिनेश सेन, अध्यक्ष जिला परिषद्	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	**प्रस्ताव संख्याः–04 / दिनांक 20 जून, 2014** **<u>लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के नजदीक के गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने बारेः–</u>** सदन में मान्नीय सदस्य श्री दिनेश सेन जी द्वारा अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के पास के गोडाउन के कारण यातायात की सुविधा में पेरशानियॉ आ रही है जिस कारण की कई बार भारी ट्रैफिक की समस्या सामने आई है। यदि इस गोडाउन का स्थान परिवर्तित किया जाए तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने हेतू आगामी कार्यवाही अमल में लाऐं तथा जिला परिषद सदन को अवगत करवाऐं।	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा इस सम्बन्ध में उनके कार्यालय पत्र संख्या 1458 दिनांक 06.09.2014 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 13638–39 दिनांक 22.9.2014 के अन्तर्गत उपायुक्त महोदय को लिखा है कि लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के नजदीक के गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने बारे विभाग को कोई समस्या नहीं है। यदि स्टोर निर्माण हेतू विभाग को भूमि उपलब्ध करवाई जाए तो वह उनका गोडाउन का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बजट का प्रावधान भी करवाया जाए तो इसके पश्चात् उच्च अधिकारियों को अनुमति प्रदान करने के लिए पत्र लिखा जाएगा।
36	श्री बुद्वि सिंह, सदस्य जिला परिषद्	निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला	**प्रस्ताव संख्याः–05 / दिनांक 20 जून, 2014** **<u>तहसील भून्तर में नाईव तहसीलदार तथा तहसील कुल्लू में नाईव तहसीलदार के पद भरने बारेः–</u>** सदन में मान्नीय सदस्य श्री बुद्वि सिंह जी द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर को तहसील बनाकर लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है लेकिन नाईव तहसीलदार न होने के कारण स्थानीय जनता के कार्य पूर्ण नहीं हो परा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तहसील कुल्लू में भी नाईव तहसीलदार का पद रिक्त है। सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि तहसील कुल्लू व भून्तर में नाईव तहसीलदार के रिक्त पदों को भरने की अनुकम्पा करें ताकि स्थानीय जनता की परेशानियों को कम किया जा सके।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1464 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
37	समस्त पदाधिकारीगण	निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश	**प्रस्ताव संख्याः–06 / दिनांक 20 जून, 2014** **<u>विकास खण्ड कुल्लू में लेखापाल की भर्ती करने बारेः–</u>** सदन में जब खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 13वां वितायोग की रिर्पोट प्रस्तुत की गई तो उन्होंने सदन से आग्रह किया और स्पष्ट किया कि विकास खण्ड कुल्लू में 70 पंचायतें	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1465 दिनांक 09–09–2014 के

		सरकार शिमला–2	है और मात्र एक लेखापाल है जो कि 70 पंचायतों का कार्यभार सम्भाल रहा है। इसके अतिरिक्त जिला परिषद का 13वां वितायोग के बजट का लेखा एवं प्रविष्टियॉ तथा खाता खतौनी, पंचायत समिति के बजट का लेखा एवं प्रविष्टियॉ तथा खाता खतौनी, समिति निधि या अन्य निधियों का लेखा एवं प्रविष्टियॉ तथा खतौनी का कार्य मात्र 1 लेखापाल द्वारा किया जा रहा है। यदि 70 पंचायतों पर 1 और लेखापाल हो तो कार्य को सम्पन्न करवाने पर कठिनाई नहीं होती है। सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू की गम्भीर समस्या को देखते हुए विकास खण्ड कुल्लू में लेखापाल का रिक्त पद शीघ्र अति शीघ्र भरने की अनुकम्पा करें ।	अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
38	**समस्त पदाधिकारीगण**	**निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2**	**प्रस्ताव संख्याः–07/दिनांक 20 जून, 2014** **<u>विकास खण्ड कुल्लू को 2 खण्डों में विभाजित करने बारेः–</u>** सदन द्वारा मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय का भून्तर को तहसील का दर्जा देने हेतू आभार प्रकट किया गया और यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू में 70 पंचायतें है और विकास खण्ड नगर में 40, विकास खण्ड बन्जार में 36, विकास खण्ड आनी में 32 तथा विकास खण्ड निरमण्ड में 26 पचायतें हैं। सबसे बड़ा विकास खण्ड कुल्लू है यदि इसे 2 खण्डों में विभाजित किया जाए तो कार्यों को सुगमता से सम्पन्न किया जा सकता है। सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू को 2 खण्डों में विभाजित करने की अनुकम्पा करें ।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1470 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
39	**मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू।**	**मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार/ मान्नीय पंचायती राज**	**प्रस्ताव संख्याः–08/दिनांक 20 जून, 2014** **<u>पी0ई0ए0आई0एस0 के अन्तर्गत विभागीय दल गठित करके उनसे मूल्यांकन करवाने बारेः–</u>** अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि इस वर्ष पी0ई0ए0आई0एस0 के मुल्यांकन हेतू जिस संस्था को कार्य सौंपा गया था उस द्वारा कार्य पारदर्शिता	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1466–1467 दिनांक 09–09–2014 के

		मन्त्री / निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश	से नहीं किया तथा जिला कुल्लू जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया उसे तीसरा स्थान दे दिया गया इस विषय पर जब अध्यक्ष जिला परिषद तथा मान्नीय सदस्य श्री ओम प्रकाश द्वारा केन्द्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विभागीय अधिकारियों के समक्ष विरोध प्रकट किया गया तो विभाग द्वारा पुनः मूल्यांकन हेतू विभागीय दल भेजे गए उन द्वारा मूल्यांकन करने पर जिला कुल्लू प्रथम स्थान पर रहा। सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि किया सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि भविष्य में जब भी पी0ई0ए0आई0एस0 के मूल्यांकन का कार्य हो तो गत वर्ष भेजी गई संस्थाएकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, शिमला (आई0आई0आर0डी0) से यह कार्य न करवाया जाए और इस संस्था को ब्लैक लिस्ट किया जाए तथा इसके लिए विभागीय दल गठित करके उनसे यह कार्य करवाया जाए ताकि इसमें पारदर्शिता रहे।	अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
40	**श्री मेहर सिंह ठाकुर, अध्यक्ष पंचायत समिति कुल्लू**	**अधिशाषी अभियन्ता, यान्त्रिक लोक निर्माण विभाग शमशी**	**प्रस्ताव संख्याः– 11 / दिनांक 20 जून, 2014** **<u>पुल एन0एच0 पिरडी तलोगी के पास मुरम्मत करने बारे</u>** सदन में पंचायत समिति अध्यक्ष द्वारा अवगत करवाया गया कि पिरडी तलोगी के पास एन0एच0 का एक पुल बना है। यह पुल बहुत खराब अवस्था में है। इस पुल पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसे मुरम्मत करवाया जाना अति आवश्यक है। सदन में अध्यक्ष महोदय द्वारा यान्त्रिक विभाग शमशी के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश दिए गए कि वे शीघ्र इस पुल का प्राक्कलन तैयार कर इसकी मुरम्मत का कार्य करने हेतू आगामी कार्यवाही अमल में लाएँ।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1467 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
41	**सदस्य पंचायत भवन सरवरी कुल्लू**	**सचिव पंचायत भवन सरवरी कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः– 12 / दिनांक 20 जून, 2014** **<u>पंचायत भवन कुल्लू तथा पंचायत भवन सरवरी के लिए फर्नीचर क्रय करने बारेः–</u>** सदन में चर्चा की गई कि पंचायत भवन कुल्लू का कार्य पूर्ण हो चुका है अब इसके लिए फर्नीचर क्रय करना शेष रहता है। इस विषय में दिनांक 19.06.2014 को पंचायत भवन कमेटी की बैठक भी हुई थी। इस विषय में सदन में चर्चा	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			की गई, चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि पंचायत भवन मनाली के लिए जिस एजेन्सी से निविदा अनुमोदन व क्रय कमेटी के बाजार सर्वे के आधार पर फर्नीचर क्रय किया गया था उसी एजेन्सी से पंचायत भवन कुल्लू के लिए उसी गुणवता का आवश्यक सामान क्रय किया जाए। इसके अतिरिक्त सदन में पचायत भवन सरवरी के फर्नीचर व अन्य सामान की जॉच हेतू एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें जिला अंकेक्षण अधिकारी, लेखापाल जिला परिषद, कनिष्ठ अभियन्ता श्रीमती शशि किरण विकास खण्ड कुल्लू को मनोनीत किया गया। यह कमेटी पंचायत भवन में लगे फर्नीचर जो काफी पुराना है का बही मूल्य निकालकर उसकी रिर्पोट सचिव जिला परिषद को प्रस्तुत करेगी तथा यह पुराना फर्नीचर क्रय करना है। पंचायत भवन सरवरी के लिए भी उसी गुणवता का सामान क्रय किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसा सामान जिसके लिए पूर्व में निविदाऍ आमन्त्रित न की गई हैं और उसकी आवश्यकता गैस्ट हाउस के लिए हो उस सामान को क्रय करने हेतू क्रय कमेटी बाजार का सर्वे करेगी और मौके पर ही सामान की गुणवता को मध्यनजर रखते हुए निविदाऍ एकत्रित करेगी और सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाली एजेन्सी को आपूर्ति आदेश दिया जाएगा।	
42	**समस्त जिला परिषद सदस्य**	**सचिव, जिला परिषद कुल्लू/ समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः—14/दिनांक 20 जून, 2014** **<u>13वां वितायोग के कार्यों की समीक्षा बारे :—</u>** बैठक में चर्चा की गयी कि जिला परिषद द्वारा 13वां वितायोग के अन्तर्गत जो राशि विकास खण्डों को विकासात्मक कार्यों हेतू निर्मुक्त की जा रही है उस राशि का व्यय स्वीकृत कार्यों पर समय से नहीं हो रहा है जिस कारण 13वां वितायोग के अन्तर्गत लम्बित पड़े कार्यों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। जिला परिषद सदस्यों ने सदन में अवगत करवाया कि स्वीकृत कार्यों के प्राक्कलन समय से तकनीकी स्टाफ द्वारा समय से उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तथा तकनीकी जानकारी देने के लिए तकनीकी स्टाफ समय से उपलब्ध नहीं होते हैं। निदेशालय से प्राप्त जानकारी अनुसार भविष्य में जिला परिषद द्वारा तब तक 13वां वितायोग के अन्तर्गत शैल्फ पारित नहीं की जाएगी । जब तक उस कार्य का प्राक्कलन तैयार कर नहीं लिया जाता है तथा प्राक्कलन आधार पर ही राशि स्वीकृत की	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009—1114 दिनांक 06 अगस्त—2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1429—1433 दिनांक 09—09—2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			जाएगी। इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने सचिव जिला परिषद को निर्देश दिए कि वह सभी विकास खण्डों के तकनीकी स्टाफ के साथ 13वां वितायोग के कार्यों की समीक्षा हेतू बैठक निश्चित करे ताकि लम्बित पड़े कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके या समुचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके।	
43	**समस्त सदस्य जिला परिषद कुल्लू**	**मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–02 / मान्नीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला–02**	**प्रस्ताव संख्याः–15/दिनांक 20 जून, 2014** **<u>जिला परिषद् अध्यक्ष को नया वाहन उपलब्ध करवाने बारेः–</u>** बैठक में विचार–विमर्श किया गया कि जिला परिषद अध्यक्ष कुल्लू को विभाग द्वारा जो गाड़ी आबंटित की गई है वह अकस्मात बार–बार खराब हो रही है। वर्तमान में भी जिला परिषद को आबंटित गाड़ी का ईंजन सीज हो गया है। इस संदर्भ में पूर्व में जिला परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निदेशक पंचायत राज विभाग ने कार्यालय पत्र सं0 पी0सी0एच–एच सी (1) 1/2014–50394 दिनांक 22 फरवरी 2014 के अंतर्गत गाड़ी के विषय में सूचना भी मांगी गई थी जो कि इस कार्यालय के पत्र सं0 33 दिनांक 24 अप्रैल 2014 द्वारा भेजी गई है। यह गाड़ी दिनांक 08 जुलाई 2006 को खरीदी गयी है, इसकी क्रय कीमत मु0 469589/–रूपये है। अब तक यह 190733 कि0मी0 की चल चुकी है। वाहन की मुरम्मत पर अब तक मु0 351539/– रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है तथा इसकी माईलेज 7.01 कि0मी0 है। प्रत्येक वर्ष इस पर मुरम्मत का व्यय बढ़ रहा है। जिला परिषद कुल्लू को इस वर्ष भी लगातार तीसरी बार पी0ई0ए0आई0एस0 के अंतर्गत मु0 50 लाख रूपये की राशि ईनाम के तौर पर प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में सदन मांग करती है कि जिला परिषद कुल्लू को नयी गाड़ी उपलब्ध करवाई जाए। ईनाम की राशि में से या जिला परिषद निधि से मु0 2292398/– रूपये है से नया वाहन खरीदने की अनुमति प्रदान की जाए।	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1468–1469 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
44	**समस्त सदस्य जिला परिषद कुल्लू**	**मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–02**	**प्रस्ताव संख्याः–16/दिनांक 20 जून, 2014** **<u>13वां वितायोग के अंतर्गत जिला परिषदों को आबंटित राशि के बारे में :–</u>** सदन में विचार विमर्श किया गया कि जिला परिषदों को 13वां वितायोग के अंतर्गत जो राशि आंबटित की जा रही है उसको निर्मुक्त करने के लिए विभाग द्वारा जारी पत्र द्वारा आगामी दिशा निर्देश प्राप्त होने तक रोक लगा दी गई है	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1406–1407 दिनांक 09–09–2014 के

		/ मान्नीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला–02	तथा समाचार पत्रों के अनुसार जिला परिषदों को 13वां वितायोग के अंतर्गत जो राशि आंबटित की जाती है उसके अनुपात में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। इसका जिला परिषद विरोध करती है क्योंकि 13वां वितायोग के लिए अब अतिरिक्त एक वर्ष ही शेष है जिला परिषद सदस्यों ने गत वितीय वर्ष 2013–14 में 13वां वितायोग के अंतर्गत प्राप्त राशि के आधार पर ही वितीय वर्ष 2014–15 के लिए आवश्यक कार्य योजनाओं के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित की हैं तथा जनता को इन जनहित की कार्य योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आश्वस्त किया है। यदि 13वां वितायोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में कटौती की जाती है उन कार्य योजनाओं को पूर्ण करने में सफल नहीं हो पाएंगे जिसका कि जनता के बीच जिला परिषद सदस्यों का एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जो राशि जिला परिषद को निर्मुक्त की जा चुकी है उसे जारी करने के तुरन्त निर्देश दिए जाएं क्योंकि कुछ कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए सदस्यों ने अगली किश्त जारी करने का आश्वासन जनता को दिया है तथा अन्य कार्यों हेतू भी सदन द्वारा प्रस्तावनाएँ पारित की जा चुकी हैं। इस संदर्भ में सदन मांग करती है कि पूर्व अनुपात आबंटन के अनुसार ही जिला परिषदों को शीर्ष 13वां वितायोग के अनुसार राशि आबंटित की जाए तथा यदि मनरेगा convergance के लिए 20 प्रतिशत राशि को खर्च किया जाना है तो उस राशि को आबंटन मनरेगा कार्यों के लिए भी जिला परिषद के माध्यम से होना चाहिए।	अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
45	**समस्त पदाधिकारीगण**	**मान्नीय मुख्यमन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला–2/ सचिव व निदेशक पंचायती राज विभाग शिमला**	**प्रस्ताव संख्या:– 17/दिनांक 20 जून, 2014** **<u>जिला परिषद सचिव तथा स्टाफ को एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि व पदोन्निति प्रदान करने बारे:–</u>**	जिला परिषद् की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पत्र संख्या 1009–1114 दिनांक 06 अगस्त–2014 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1468–1469 दिनांक 09–09–2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 24 सितम्बर, 2014 की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में पूछे जाने वाले प्रश्न

46	श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	उपायुक्त कार्यालय/ समस्त खण्ड विकास अधिकारी	**प्रश्न संख्या– 01 /दिनांक 24.09.2014** क. वन अधिकार समितियॉ जिले के अन्तर्गत किन–किन चरणों में कहॉ–कहॉ बनी है ? ख. इन समितियॉ के क्या –2 कार्य /अधिकार है ? विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 1587 दिनांक 15.9.2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
47	श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	पुलिस अधिक्षक कुल्लू	**प्रश्न संख्याः–03/दिनांक 24.09.2014** बाशिंग क्षेत्र में एन0एच0–21 के किनारे पार्क किए जा रहे ट्रकों को हटाने बारेः– इस सम्बन्ध में पुलिस अधिक्षक महोदय को पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु अभी तक ट्रक वहॉ ज्यों के त्यों पूर्ववत खड़े रहते है। इस सन्दर्भ में अभी तक इस बारे इन्हें वहॉ से क्यों नहीं हटाया गया ? विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।	पुलिस अधिक्षक, कुल्लू ने अवगत करवाया है कि कार्यालय ग्राम पंचायत वाशिंग से प्राप्त शिकायत पत्र की जॉच यातायात पुलिस कुल्लू द्वारा अमल में लाई गई है। मुताविक रिपोर्ट, प्रभारी यातायात कुल्लू के माह जुलाई व अगस्त में वाशिंग में एन0एच0–21 पर सड़क के किनारे खड़े 75 ट्रकों के चालान किये हैं तथा उसके उपरान्त आज दिन तक 38 अन्य ट्रकों के चालान किये हैं जो कुल 113 ट्रकों के चालान किये गये हैं। दौराने जांच, जांच अधिकारी ने प्रधान व उपप्रधान ट्रक यूनियन कुल्लू तथा राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों से सम्पर्क करके भविष्य में एन0एच0–21 पर सड़क के किनारे ट्रकों को खड़ा न करने की हिदायत दी थी। इस सन्दर्भ में प्रभारी यातायात को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।
48	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जि0प0	परियोजना अधिकारी / जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू	**प्रश्न संख्या :–02/ दिनांक 24.9.2014** क. आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 में पात्र उम्मीदवार के चयन का क्या नियम है, इस में पटवारी की क्या भूमिका है ? ख. आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा अभ्यार्थी को जारी किया जाता है उसके क्या मापदण्ड है ?	इस कार्यालय के पत्र संख्या 1589–90 दिनांक 15.9.2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
49	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जि0प0 कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग– 1	**प्रश्न संख्या :–03/दिनांक 24.9.2014** **क.** विभाग के पास कितने पुराने रोड़ है, जो अब उपयोग में नहीं है, नाम सहित विवरण स्पष्ट करें ? विभाग ने कई जगह लोगों की जमीने सड़क बनाने या विश्राम गृह बनाने व अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित की होती है और बाद में यह सब सड़क , विश्राम गृह व अन्य कार्य बदल दिए जाते हैं, तो उस अधिग्रहित जमीन का विभाग क्या उपयोग करता है पूरी सूचि	**क.** लोक निर्माण विभाग प्रथम ने अवगत करवाया है कि विभाग के पास ऐसा कोई पुराना रोड़ नहीं है, जो अब उपयोग में नहीं है और न ही विभाग ने लोगों की जमीने सड़क बनाने या विश्राम गृह व अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित की है, जिसे बाद में सड़क विश्राम गृह व अन्य कार्य के लिए बदल दिया गया हो।

			जगह के नाम सहित दी जाए ? **ख.** सड़क में तारकोल विछाने के क्या नियम है, तारकोल किन–किन महीने में विछाई जाती है, तारकोल विछाने के लिए तापमान कितना होना चाहिए ?	**ख.** प्रत्येक सड़क की दशा के बारे में विस्तृत विवरण तथा पूर्व में की गई टायरिंग का विवरण उच्चतर कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। उसी के आधार पर विभिन्न मापदण्डो को ध्यान में रख कर टायरिंग का प्लान उच्चतर कार्यालय द्वारा किया जाता है लोक मिर्नाण विभाग में तारकोल बिछाने का उपयुक्त समय अप्रैल से जून माह तक तथा सितम्बर से अक्तूबर माह तक होता है। तारकोल बिछाने के लिए वातावरण का कम से कम तापमान 10 डिग्री होना चाहिए।
50	**मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद/ श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू**	**वन मण्डल अधिकारी (वन्य प्राणी) शमशी**	**प्रश्न संख्याः– 04/दिनांक 24.9.2014** विभाग जनहित की योजनाओं की जानकारी के माध्यम से सदन को प्रस्तुत करें ?	इस कार्यालय के पत्र संख्या 1592 दिनांक 19. 9.2014 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सचिव ,
Sd/-
जिला परिषद् कुल्लू,
जिला कुल्लू हि0प्र0।
दिनांक

पृ0सख्याः–
प्रतिलिपिः–

उपरोक्त समस्त अधिकारियों को उपरोक्त के सन्दर्भ में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सचिव,
Sd/-
जिला परिषद् कुल्लू,
जिला कुल्लू हि0प्र0।